

(1)

कार्यालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्रमांक. /2026

सीधी, दिनांक-27.04.2026

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12 एवं 13 तथा म.प्र. आपराधिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन **माह-मई, जून, जुलाई-2026** के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिए रिमाण्ड ड्यूटी संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

जिला-मुख्यालय सीधी

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मई-2026	माह-जून-2026	माह-जुलाई-2026
1	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	10	14, 26	12
2	सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	—	20, 21	4, 5
3	श्री कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	24, 27, 16, 17	—	—
4	श्री अर्पिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	1, 2, 3	28	26
5	श्री धीरज आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	31	6, 7	18, 19

तहसील-मुख्यालय चुरहट

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मई-2026	माह-जून-2026	माह-जुलाई-2026
1	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	1, 2, 3	—	4, 5
2	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	24	26, 28	12, 26

(2)

	श्रेणी चुरहट			
3	सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	16, 17, 10	—	18, 19
4	श्री राहुल त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	31	6, 7, 14, 20, 21	—

तहसील-मुख्यालय रामपुर नैकिन

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मई-2026	माह-जून-2026	माह-जुलाई-2026
1	श्री परमानन्द सनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	10, 16, 17, 24, 27	26, 28	12, 18, 19, 26
2	श्री अरहम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	1, 2, 3, 31	6, 7, 14, 20, 21	4, 5

तहसील-मुख्यालय मझौली

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मई-2026	माह-जून-2026	माह-जुलाई-2026
1	श्री लोकेश तारन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	24, 31	6, 14	4, 5
2	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	1, 2, 3, 16, 17	20, 21	18, 19
	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	10	7, 26, 28	12, 26

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी, /चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली उपरोक्त दर्शित तिथियों में दोपहर के समय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।

(3)

2. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिए सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति मय हस्ताक्षर लिखित आवेदन एक दिवस पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को सूचित कर अपनी पूर्व निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तित करा सकते हैं।

3. यदि इस बीच कोई अतिरिक्त शासकीय अवकाश घोषित होता है तो निम्न सारणी अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दिवस की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

मुख्यालय सीधी:-

माह मई-2026 :- श्री कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।

माह जून-2026 :- श्री अर्पिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।

माह जुलाई-2026 :- श्री धीरज आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।

तहसील मुख्यालय चुरहट:-

माह मई-2026 :- श्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

माह जून-2026 :- श्री राहुल त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

माह जुलाई-2026 :- श्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

तहसील मुख्यालय रामपुर नैकिन:-

माह मई-2026 :- श्री परमानंद सनोड़िया, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

माह जून-2026 :- श्री अरहम खान, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

माह जुलाई-2026 :- श्री अरहम खान, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

तहसील मुख्यालय मझौली:-

माह मई-2026 :- सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली

माह जून-2026 :- श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली

माह जुलाई-2026 :- श्री लोकेश तारन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली

4. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

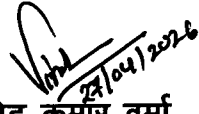
5. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमाण्ड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।

6. यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्र अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।

7. रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

(4)

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार जिला स्थापना सीधी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय में स्थानांतरित हो रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट के उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं उनकी अनुपलब्धता की दशा में जिला/तहसील न्यायालय में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।


विनोद कुमार वर्मा

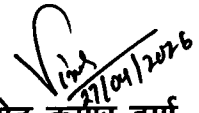
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक: 372 / 2026

सीधी, दिनांक-27.04.2026

प्रतिलिपि :- (ई-मेल/व्हाट्सप/व्हाट्सप ग्रुप)

1. प्रस्तुतकार-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी (म.प्र.)
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी/चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला सीधी म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग जिला सीधी म.प्र.
5. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी म.प्र.
6. कार्यालय अनुभाग जिला न्यायालय सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. डी.पी.ओ. सीधी, जिला सीधी, (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/रामपुरनैकिन/मझौली/सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम ऑफिसर सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) की ओर ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला नाजिर, जिला सीधी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।


विनोद कुमार वर्मा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)